## न्यायालयः-अमनदीप सिंह छाबडा,

#### न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेहर जिला बालाघाट म.प्र.

<u>आप0 प्रकरण कमांक 646 / 13</u> संस्थित दिनांक 12.07.2013 फाई. नं.—234503002582013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन।

#### विरूद्ध

1.सुनील पिता सहारूसिंह मेरावी, उम्र—20 साल, निवासी—काली मंदिर नेवरगांव थाना मलाजखंड जिला बालाघाट। 2.महेश बिसेन पिता सोहनलाल बिसेन, उम्र—40 वर्ष, जाति पंवार, निवासी रूपझर थाना रूपझर जिला बालाघाट। (पूर्व से निर्णित)

......अभियुक्तगण।

## -:: <u>निर्णय</u> ::-

# दिनांक 20.03.2018 को घोषित

- 01— अभियुक्त सुनील के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 तथा मो.व्ही. एक्ट की धारा—3/181, 185 के तहत् यह आरोप है कि उसने दिनांक 27.04.2013 को समय रात्रि करीब 10:15 बजे मलाजखंड जी.टी. होस्टल के सामने मेन रोड पर थाना मलाजखंड में वाहन द्रक क्रमांक सी.जी.04/जे.सी. 6420 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को शराब के नशे की हालत में तथा बिना इायविंग लायसेंस के चलाया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.04.2013 को एच.सी.एल. अधिकारी ए०के० शर्मा द्वारा मोबाईल से सूचना दी गई कि वाहन दक कमांक सी.जी.04जे.सी.6420 खड़ा है। परमजीतिसंह पासवान द्वारा बताया गया कि द्वायवर सुनील द्वारा शराब पीकर दक को लापरवाहीपूर्वक चलाकर वृक्ष को टक्कर मारकर घायल अवस्था में है, जिसे घायल अवस्था में एम.सी.पी.

अस्पताल मलाजखंड में भर्ती कराया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान मौका—नक्शा, गवाहों के कथन, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। चालक सुनील द्वारा बिना झ्रायविंग लायसेंस तथा शराब के नशे की हालत में वाहन चलाये जाने से उसके विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 185 तथा वाहन मालिक द्वारा आरोपी सुनील को बिना झ्रायविंग लायसेंस के वाहन चलाने देने से धारा—5/180 का ईजाफा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कमांक 36/13 तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्त सुनील को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—3/181, 185 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

## 04-प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 01.क्या अभियुक्त सुनील ने दिनांक 27.04.2013 को समय रात्रि करीब 10:15 बजे मलाजखंड जी.टी. होस्टल के सामने मेन रोड पर थाना मलाजखंड में वाहन द्रक कमांक सी.जी.04 / जे.सी.6420 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- **02.** क्या अभियुक्त सुनील ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को शराब के नशे की हालत में तथा बिना ड्रायविंग लायसेंस के चलाया ?

## सकारण व निष्कर्ष

## विचारणीय बिन्दु कमाक 01 -

**05**— साक्षी संजय ठाकुर अ.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब दो साल पूर्व मलाजखण्ड की

है। घटना के समय वह अपने ट्रक कमांक सी.जी.04.जे.सी.6420 को बिरसा पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर अपने घर मजगांव गया था। रात में उसे फोन आया कि उसके ट्रक की दुर्घटना हो गई है, जिसके बाद वह घटनास्थल शॉपिंग सेंटर मलाजखण्ड के पास पहुँचा, तो देखा कि ट्रक नीलिंगरी के पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

- 06— साक्षी संजय ठाकुर अ.सा.01 के अनुसार सुनील को एम.सी.पी. अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे पेट्रोल पंप वाले ने बताया कि ट्रक को सुनील चलाकर ले गया। पुलिस ने उसके ट्रक कमांक सी.जी.04/जे.सी—6420 को क्षतिग्रस्त हालत में घटनास्थल से जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष सुनील मरावी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 07— साक्षी संजय ठाकुर अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, उसने आरोपी को ट्रक चलाते हुए नहीं देखा था, वह घटना होने के बाद घटनास्थल पर पहुँचा था, वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई थी, वह लोगों के बताये अनुसार आरोपी के वाहन चलाने वाली बात बता रहा है।
- 08— साक्षी परमजीत सिंह अ.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना करीब तीन—चार वर्ष पूर्व रात के समय मलाजखंड टाउनशिप की है। घटना के समय अस्पताल के पास एक द्रक पेड़ से टकरा गया था, वह घटनास्थल पर गया और देखा कि वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त द्रक खड़ा था, जिसके पास ही उसका द्वायवर था। द्वायवर शराब पीये हुये था। फिर पुलिस को सूचना देकर उसने उसे एम.सी.पी. अस्पताल भिजवाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया

था कि द्रक का ड्रायवर अंदर फंसा हुआ था, वह घटना के बाद पहुँचा था, इसलिये नहीं बता सकता कि द्रक किसकी गलती से टकराया था।

- 09— साक्षी ए०के० शर्मा अ.सा.०३ ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना करीब दो—तीन वर्ष पूर्व रात के समय मलाजखंड टाउनशिप की है। घटना के समय अस्पताल के पास एक द्रक पेड़ से टकरा गया था, वह घटनास्थल पर गया और देखा कि वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त द्रक खड़ा था, जिसके पास ही उसका ड्रायवर था। ड्रायवर शराब पीये हुये था, फिर पुलिस को सूचना देकर उसने उसे एम.सी.पी. अस्पताल भिजवाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि द्रक का ड्रायवर अंदर फंसा हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के बाद पहुँचा था, इसलिये नहीं बता सकता कि द्रक किसकी गलती से टकराया था।
- 10— साक्षी राजेन्द्र अ.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 28.04.2013 को थाना मलाजखंड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध कमांक 50 / 13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल जाकर जितेन्द्र नारायण की निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल टाउनशिप रोड किनारे पासवान गेट के पास मलाजखंड पर वाहन द्रक कमांक सी.जी.04जे.सी.6420 क्षतिग्रस्त अवस्था में गवाह जितेन्द्र तथा संजय के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी सुनील मरावी को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था जो, प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 11— साक्षी राजेन्द्र अ.सा.04 के अनुसार उक्त दिनांक को उसके द्वारा गवाह परमजीतिसंह, जितेन्द्र नारायण, ए.के. शर्मा तथा संजय ठाकुर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल पर गवाह संजय तथा जलदास के समक्ष क्षतिग्रस्त द्रक सी.जी.04जे. सी.6420 का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया था, जिसमें करीब 30 हजार रुपये की नुकसानी दर्शाई गई थी। नुकसानी पंचनामा प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 12— साक्षी राजेन्द्र अ.सा.04 के अनुसार उक्त दिनांक को उसके द्वारा द्रक चालक संजय टाकुर को धारा—133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस प्र.पी.05 दिया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर द्रक चालक संजय टाकुर के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर द्रक चालक संजय टाकुर द्वारा अपने जवाब में यह बताया गया था कि घटना के समय आरोपी सुनील कुमार हेल्पर द्वारा उक्त वाहन चलाया जा रहा था। वाहन मालिक महेश बिसेन द्वारा भी अपने जवाब प्र.पी.06 में उक्त तथ्य की पृष्टि की गई थी कि घटना के समय द्रक का चालन आरोपी द्वारा किया जा रहा था, जिसके ए से ए भाग पर वाहन मालिक महेश बिसेन के हस्ताक्षर है।
- 13— साक्षी राजेन्द्र अ.सा.04 के अनुसार वाहन परीक्षण परीक्षणकर्ता भरत परिहार से करवाया गया था। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर वाहन परीक्षणकर्ता भरत परिहार के हस्ताक्षर है। आरोपी क्लीनर द्वारा घटना के समय बिना लायसेंस के द्रक चलाकर शराब के नशे में घटना कारित की गई थी, जिस कारण प्रकरण में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—3/181, 185 बढ़ाई गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 14— साक्षी राजेन्द्र अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मौका—नक्शा अपने मन से तैयार किया था, उसने गवाहों के बयान साक्षियों के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से

लेख कर लिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी का यूरिन/नार्को टेस्ट नहीं करवाया था, जिससे यह पता लगे कि वह शराब के नशे में था। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था।

- 15— साक्षी राजेन्द्र अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने वाहन की जप्ती गवाहों के समक्ष नहीं की थी। उसने वाहन के कागजात जप्त नहीं किया था। यह अस्वीकार किया है कि घटना कैसे हुई थी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार गवाहों के बताये अनुसार आरोपी की लापरवाही से दुर्घटना हुई थी। उसे जानकारी नहीं है कि वाहन पैड़ से टकराने के बाद आरोपी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। उसने आरोपी को वाहन अनुज्ञप्ति के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया था, मात्र पूछताछ की थी। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी तथा घटना के समय वाहन कोई अन्य व्यक्ति चला रहा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जिस चालक के कारण घटना घटित हुई उसे उसने नहीं पकड़ा था। साक्षी के अनुसार उसने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उक्त वाहन का मुख्य चालक कहीं चले गया था।
- 16— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को आरोपी सुनील द्वारा चालित ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपी सुनील की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना के सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। सभी साक्षियों ने घटना न देखना व्यक्त कर घटना में आरोपी सुनील की गलती होने अथवा वाहन की गित तेज होने संबंधी किसी प्रकार के कथन नहीं किये हैं।
- 17— अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध

की उपधारणा नहीं की जा सकती। "परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है" के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी सुनील द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया हो। इस संबंध में <u>न्यायदृष्टांत—Bijuli Swain Vs State of Orissa 1981 Cr.LJ 583(Ori)</u> अवलोकनीय है।

# विचारणीय बिन्दु कमाक-02:-

- 18— पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय अभियुक्त सुनील द्वारा वाहन चलाया जा रहा था, परंतु वाहन को शराब के नशे की हालत में चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यद्यपि साक्षीगण ए०के० शर्मा अ.सा.03 तथा परमजीत सिंह अ.सा.02 ने घटना के समय आरोपी के शराब के नशे में होने के कथन किये हैं, परंतु उक्त संबंध में कोई मुलाहिजा रिपोर्ट अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे तत्संबंध में आरोपी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके, परंतु घटना के समय आरोपी के पास लायसेंस न होने के संबंध में विवेचक राजेन्द्र अ.सा.04 ने अखण्डनीय कथन किये हैं और आरोपी द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार आरोपी पर था, परंतु उसके द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है कि घटना के समय उसके पास लायसेंस था। फलतः यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त सुनील द्वारा घटना के समय वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस के चलाया गया।
- 19— अतः अभियुक्त सुनील को भा.दं०सं० की धारा—279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—185 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181 में दोषसिद्ध किया जाता है।
- 20— अभियुक्त के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना

<u>फा.नं.234503002582013</u>

अथवा उसके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

- 21— अतः अभियुक्त सुनील को मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181 के अपराध के लिए 500/—(पाच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिए एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 22- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 23— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन द्रक क्रमांक सी.जी.04जे.सी.6420 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अविध के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 24- अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा—428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 25— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / –

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)